संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/ 1109-F **भोपाल, दिनांक** 15.11.2017

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आर.के.राठौर रेडियोग्राफर, जिला क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जिला दतिया को स्थानांतरित करते हुए जिला चिकित्सालय दतिया में तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है ।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2017/ 1110-F **भोपाल, दिनांक** 15.11.2017

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दतिया/मुरैना, मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, दतिया मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, जिला क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, जिला दतिया म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दतिया/मुरैना,मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती ।

14.11

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/1107-F **भोपाल, दिनांक** 15.11.2017

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश कमांक 02/अवि./सेल-टी.पी./शिका./2017/536-बी भोपाल, दिनांक 10.07.2017 के सरल कमांक 09 पर अंकित श्री आर.के.गंधी,रेडियोग्राफर जिला चिकित्सालय दतिया का मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,मुरैना किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला क्षय नियंत्रण इकाई जिला दतिया में पदस्थ किया जाता है । शेष प्रविष्टिया एवं शर्ते यथावत रहेंगी ।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2017/1108-F **भोपाल, दिनांक** 15.11.2017

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दतिया/मुरैना, मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, दतिया मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, जिला क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, जिला दतिया म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दतिया/मुरैना,मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती ।

15/11
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2017/1105-F **भोपाल, दिनांक** 14.11.2017

:: आदेश ::

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के संचालनालय का आदेश क्र.2/अवि./सेल–टी.पी./**SHM-4**/2017/588–**B** दिनांक 16.07.2017 के सरल क्रमांक 16 पर अंकित श्री संतोष तिवारी, लेखापाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,रीवा का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना के अधीन किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्व श्री संतोष तिवारी, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 11633/2017 दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2017 को निर्णय पारित कर श्री संतोष तिवारी के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.07.2017 पर निर्णय लिया जाकर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 04 सप्ताह में करने हेतु निर्देश दिये गये।

श्री संतोष तिवारी द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि उनका स्थानांतरण दिसम्बर 2016 में ही स्वयं के व्यय पर जिला सिंगरौली से रीवा हुआ है। पुनः प्रशासकीय स्थानांतरण दिनांक 16.07.2017 बिना कारण रीवा से सतना किया गया है। वे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला ईकाई रीवा में सचिव पद के पदाधिकारी है, एवं स्थानांतरण नीति अनुसार वर्तमान पदस्थापना स्थल पर 03 वर्ष की समयावधि पूर्ण नहीं होने पर भी पुनः स्थानांतरण अन्यत्र किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.07.2017 में श्री संतोष तिवारी, लेखापाल के विरूद्व किसी भी प्रकार की शिकायत नही होने का लेख कर श्री तिवारी का स्थानांतरण निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का विधिवत परीक्षण किया गया, साथ ही संचालनायलय में श्री संतोष तिवारी, लेखापाल के विरूद्व वर्ष 2014 में प्राप्त शिकायत में संयुक्त संचालक रीवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में उनके विरूद्व कतिपय शिकायतों पर उत्तर संतोषजनक नही पाये जाने पर विभागीय जांच का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में श्री संतोष तिवारी, लेखापाल का अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2017/1106-F **भोपाल, दिनांक** 14.11.2017

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रीवा/सतना, मध्यप्रदेश।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला–रीवा/सतना, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश